



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

श्रीवा पब्लिक हम्बर डेक्करी स्कूल,  
मिनाई-०३, जिला-दुर्ग  
(सी.बी.एम.ई.)

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

सत्र - ०५/१०/२०१८ से ०५/१०/२०२१



## ----- कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)-----

क्रमांक / 528 / मान्यता / 2018  
प्रति,

दुर्ग, दिनांक 06/9/2018

प्रबंधक, श्रीवा रूपके राव सोलानसी,  
मिनाई, जिला-दुर्ग

विषय :- नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिये नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 25/05/18 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं श्रीवा पत्रिका ल. ले. 49, मिनाई-23, जिला-दुर्ग (विद्यालय का नाम पूरा सहित) को तारीख 05/06/18 से 04/11/2021 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा 1.01 से 5.91 तक माध्यम 327.41 के लिये अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

- मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात मान्यता /संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
  - विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा ।
  - विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस - पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा । परंतु यह और भी के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जावेगा ।
  - पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
  - सोसायटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता / पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में अध्यधीन नहीं करेगा ।
  - विद्यालय किसी बच्चों को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
- (एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चों को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जावेगा ।
- (दो) किसी भी बच्चों को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा ।
- (तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चों से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
- (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- (पांच) अधिनियम के उपबंधों " च " के अनुसार नि:शक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।



(छः) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यार्थन अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं। 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।  
और

(आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रमाणां निम्नानुसार है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल ... 7.1686 वर्ग मीटर

कुल निर्मित का क्षेत्रफल ... 10.683.90 वर्ग मीटर

खेल के मैदान का क्षेत्रफल ... 4250 वर्ग मीटर

कक्षाओं की संख्या ... 20 कक्षाएं

प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिए कक्ष ... 01

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय ... 02+02

पेयजल सुविधा ... 34 लीटर

मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई ...

बाधारहित पहुंच ... 34 लीटर

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद के उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।


13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा समपरीक्षा कर ली जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित कोड संख्यांक ... 105/207/13 ... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और प्रस्तुत सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
दुर्ग



चलो चलाएँ

शिक्षा गुणवत्ता अभियान

और बढ़ाएँ

हम अपना सम्मान